


15/01/22 21.6.22 का पत्र संख्या

21.6.22

पत्रावली पेश। कोई उपस्थित नहीं।
सार्थिगण व वकील सार्थिगण को पुर्वे
न्यायालय में घाट-घाट जोर-जोर से
आवाजें लगाई गई लेकिन फिर भी
असमर्थता या ककारतक न्यायालय में
उपस्थित नहीं। अतः यह सार्थिना पत्र
अदम हाजरी एवं अदम फेंकी में इसी
स्तार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली
बाद तरीक तस्मील होर हाकिम दफतर
हो।


(अशिलाला)
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना